

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
(Phone No 0141-2227229, Email ID :- pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 27.04.2016

बैठक सूचना


निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के रूप में निम्न जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। उक्त बैठक में मुख्यालय से निम्नानुसार अधिकारी भी भाग लेगे :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 प्रभारी सचिव, जोधपुर एवं प्रमुख शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम विभाग एवं अध्यक्ष आर.एस.एम.एम.एल., राजस्थान जयपुर।
- 3 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 4 प्रभारी सचिव, बाड़मेर एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 5 आयुक्त, महानरेगा।
- 6 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 7 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 8 अतिरिक्त उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन प्रथम), पंचायती राज।
- 9 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 10 संबंधित जिला प्रभारी।

जिलों में बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-


जिलों का नाम	बैठक दिनांक	बैठक स्थान	बैठक में प्रतिभागी
जोधपुर	27.05.2016 (प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक)	जिला परिषद, सभागार, जोधपुर	माननीय सांसद, जिलों के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, जिलों के समस्त प्रधान, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभागों के अधिकारी तथा लाईन विभाग व जिलों के समस्त विकास अधिकारी
बाड़मेर	28.05.2016 (प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक)	जिला परिषद, सभागार, बाड़मेर	

उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय एवं बैठक कार्यवाही विवरण आदि का दायित्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला प्रभारी अधिकारी का होगा।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, प्रभारी सचिव, जोधपुर एवं प्रमुख शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम विभाग एवं अध्यक्ष आर.एस.एम.एम.एल., राजस्थान जयपुर।
- 6 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 7 निजी सचिव, प्रभारी सचिव, बाड़मेर एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 8 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 9 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 10 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 11 जिला कलक्टर, जोधपुर/बाड़मेर।
- 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर/बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि जिले के माननीय सांसद महोदय/विधायकगण/जिला प्रमुख/प्रधानगण एवं जिले के विकास अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करेंगे, साथ ही विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति से संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी एवं पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी सुसंगत सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। बैठक से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
- 13 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 14 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 15 जिला प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
- 16 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट (rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।



परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)